>

Title: Need to address the grievances of Nomadic Banjaras and Denotified Tribals.

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, आज विमुक्त, घुमन्तु और बंजारा समाज के लोग जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि महाराष्ट्र जैसी सुविधाएं पूरे देश के घुमन्तु, बंजारा और विमुक्त समाज को दी जायें। इसके लिए संविधान में संशोधन हो। देश के हर बंजारा टांडा को रेवेन्यु गांव का दर्जा मिले और उनको ग्राम पंचायत मिले। सात करोड़ बंजारा समाज जो गौर बोली बोलता है, उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये और विमुक्त, घुमन्तु समाज के लिए बजट प्रोवीजन हो, जैसा एस.सी. एस.टी. के लिए प्रोवीजन होता है।

वहां आज एक जो घटना घटी है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। आज वहां एक भयंकर घटना घटी है। रफी मार्ग पर मावलंकर हॉल है, जिसकी इसी सम्माननीय हाउस के अन्तर्गत देखभाल होती है। आज जब बंजारा विमुक्त, घुमन्तु समाज के लोग वहां गये तो उनको पानी तक नहीं दिया गया। वहां पानी का अरेंजमेंट नहीं था। वहां स्टेज पर जो कुर्सी लगानी चाहिए थी, वह नहीं लगाई थी। जब उनसे पूछा गया

तो उन्होंने कहा कि यहां पानी वगैरह कुछ नहीं मिलता है।* मेरी आपसे मांग है कि जो 15 करोड़ लोग देश में हैं, इसके ऊपर आज तक सरकार का ध्यान नहीं गया है, हम बार-बार यह प्रश्न उठाते हैं।

महोदय, मैं अकेला ऐसा एमपी हूं जो डिनोटीफाइड नोमैडिक ट्राइब्स ग्रुप का हूं। आज तक साठ साल हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनके लिए डाक्ट्रेट के बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से स्कालरशिप रखी थी, लेकिन इन्होंने स्कालरशिप भी बंद कर दी।

MR. CHAIRMAN : Nothing, except Prof. Rasa Singh Rawat, will go on record.

*(Interruptions)** â€¦